# झारखण्ड सरकार
## उद्योग विभाग
## हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

## राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु आवेदन विवरणी

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प प्रक्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों/ शिल्पियों/रेशम कृषकों/उद्यमियों एवं संबंधित संस्थाओं/समितियों/समूहों से राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

### 1. राज्य स्तरीय पुरस्कार का विवरण :–

पुरस्कार निम्न प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत दिया जाएगा:

**रेशम प्रक्षेत्र:** रेशमदूत/बीज कीटपालक/नाभिकीय बीज कीटपालक/वाण्ज्यिक कीटपालक/रीलर/स्पिनर

**हस्तकरघा प्रक्षेत्र:** Cotton weaver/Wool weaver/Silk weaver/Dying & Printing (Wet Processing)/ संस्था/समिति/समूह

**हस्तशिल्प प्रक्षेत्र:** Grassmat, Carpet, Dari/Dhokra,Terracota&Papermace/ Woodcraft,bamboos & Blacksmithy/Jute, lac & Leather/ Jewellery, painting & Mulberry handicraft

**खादी प्रक्षेत्र:** Reeler/Spinner/weaver

### 2. पुरस्कार की राशि :उपरोक्त वर्णित प्रत्येक प्रक्षेत्रों के लिए :–

| Sl. No. | State Award | Amount prize |
|---|---|---|
| 1. | 1st prize | Rs. 25,000/- |
| 2. | 2nd prize | Rs. 15,000/- |
| 3. | 3rd prize | Rs. 10,000/- |

### 3. अन्य शर्तें :–

(i) अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी Category में राज्य पुरस्कार/राज्य मेरिट पुरस्कार हेतु चयन का अधिकार निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड, राँची के अध्यक्षता में गठित समिति में निहित होगा।

### 4. राज्य पुरस्कार हेतु न्यूनतम अहर्ता :–

**(i) रेशम प्रक्षेत्र :–**

(a) **सर्वश्रेष्ठ रेशमदूत** – न्यूनतम 1:12 के अनुपात से बुनियादी बीजों का वाणिज्यिक बीज उत्पादन। (चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार)

(b) **सर्वश्रेष्ठ वाणिज्यिक कीटपालक** – न्यूनतम 1:60 के अनुपात से वाणिज्यिक कोए का उत्पादन। (गत वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार)

(c) **सर्वश्रेष्ठ नामिकीय बीज कीटपालक** – न्यूनतम 1:80 के अनुपात से नाभिकीय कोए का उत्पादन। (गत वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार)

(d) **सर्वश्रेष्ठ बीज कीटपालक** – न्यूनतम 1:80 के अनुपात से बुनियादी कोए का उत्पादन। ( चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार)

(e) **रीलर** – न्यूनतम 5.00 Kg प्रतिमाह (ग्रेड–A)

(f) **स्पीनर** – न्यूनतम 6.00 Kg प्रतिमाह (ग्रेड–A)

**(ii)** **हस्तरकरघा प्रक्षेत्र :–**

(a) **सूती बुनकर** – 2/60S एवं ऊपर काउंट के धागे/6 मीटर प्रतिदिन प्रतिलूम उत्पादन/150 मीटर मासिक उत्पादन/नये तकनीक एवं विशिष्ट डिजाईन का उपयोग।।

(b) **ऊनी एवं रेशमी बुनकर** – 125 मीटर प्रतिमाह उत्पादन/ विशिष्ट डिजाईन को प्राथमिकता।

**(c)** **समिति/समूह/संस्था** –कार्यरत करघों की सं0– 20/मासिक उत्पादन– 3000 मीटर/नए डिजाईन के विकास को प्राथमिकता।

**(iii)** **हस्तशिल्प प्रक्षेत्र** :– क्षेत्रिय स्तर से अनुशंसित शिल्पियों एवं झारक्राफ्ट/मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड/झारखंड माटीला बोर्ड में किए गए उत्पादों के आधार पर संबंधित क्षेत्र के सहायक निदेशक (रेशम) की अध्यक्षता में चयन होगा।

**(iv)** **खादी प्रक्षेत्र** :–

(a) **रीलर** – न्यूनतम 6.00 Kg प्रतिमाह (ग्रेड–A)

(b) **बुनकर** – 2/60S एवं ऊपर काउंट के धागे/6 मीटर प्रतिदिन प्रतिलूम उत्पादन/150 मीटर मासिक उत्पादन/नये तकनीक एवं विशिष्ट डिजाईन का उपयोग।

5. <u>चयन का मानदंड</u> –

राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प प्रक्षेत्र में निम्नांकित को ध्यान में रखा जाएगा –

i. शिल्पियों की उत्कृष्टता उनके द्वारा समर्पित नमूने, फोटोग्राफ आदि के आधार पर तय होगी।

ii. संबंधित उपलब्धियों का आकलन उनके या उनके प्रायोजक संस्था द्वारा समर्पित बायोडाटा एवं अन्य सामग्रियों के आधार पर किया जाएगा।

iii. शिल्पियों/बुनकरों को Languishing Crafts, Product diversification, Design Development & Innovation हेतु विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

6. <u>अन्य</u> :

I. प्रविष्टियाँ क्षेत्रीय स्तर पर अग्र परियोजना पदाधिकारी/ परियोजना पदाधिकारी/अधीक्षक/हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प केन्द्रों के प्रभारी पदा0/ बोर्ड के क्षेत्रिय पदा0 द्वारा संबंधित क्षेत्र के सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), राँची/दुमका/ चाईबासा/गिरीडीह के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

II. इस संबंध में सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) द्वारा चयन समिति की बैठक की सूचना सभी संबंधित कार्यालय/संस्थाओं को दी जाएगी तथा चयनित लाभार्थी की सूची सभी कागजात एवं सैम्पल आदि के साथ निदेशालय में ससमय उपलब्ध करायी जाएगी।

निदेशक
हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प
झारखण्ड, रॉंची।